R.M.M. Law. College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub- Evidence

मौखिक साक्ष्य का मूल्य – सामान्यतः इतना की साक्ष्य
की अपेक्षा, मौखिक साक्ष्य का सन्तोषप्रद होना
है और उच्च न्यायालयों ने इस विषय पर
बड़ा महत्व प्रदान किया है।
किन्तु मौखिक साक्ष्य का सन्तोषप्रद
होना है और उच्च न्यायालय ने इस
विषय पर बड़ा मत
व्यक्त किये है। किन्तु मौखिक
साक्ष्य कैसा भी क्यू न हो
उसके न्याय प्रशासन का कार्य चल
नहीं सकता। यदि मौखिक साक्ष्य
ऐसा न हो जिस पर तुरन्त विश्वास
किया जा सके, तो उसकी जाँच,
सावधानी परिस्थितियों, सम्भावनाओं
एवं मानवीय व्यवहार के सिद्धान्त
के संदर्भ में की जानी चाहिए
यह सत्य होते हुए भी साक्षी
प्रायः न्यायालय में असत्य साक्ष्य
देने में संकोच नहीं करते
साक्ष्य के असत्य होने की
अवधारणा करके चलना उचित नहीं

'कारण के मामलें में सम्भावित उपधारणा सम्भाव्यताओं के सन्दर्भ में जाँच की जानी चाहिए। सच्चाई की इससे अच्छी इसी कसौटी नहीं परस्पर विरोधी साक्ष्य की जाँच करने का इससे सन्तोषप्रद नियम नहीं है ऐसा प्रतीत हो कि स्पष्ट और शपथ-गवां एक ओर कहते है तो पहले यह देखा जाय कि वे कौन तथ्य है जो विवाद से परे है और फिर देखा जाए कि किस पक्षकार का मामला मानवीय क्रिया कलाप के मामूली प्रक्रम और जीवन की सामान्य प्रवृतियों से अनुरूपता रखता है।

यदि साक्षी का कथन एक भी असत्य पाया गया है तो उसका समस्त कथन अविश्वसनीय हो जाता है। जो इस देश में लागू नहीं है। इस सिद्धान्त पर चलना आवश्यक नहीं है।